**Stamps and Registration Department**
**Office of The Sub Registrar Jaipur II**
**Jaipur**
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fee Receipt No | 2010052008308 | Date | 02/06/2010 |
| Presenter Name | GULAB DEVI | Document S. No | 2010052007939 |
| Presenter/Property Address | VILL BAGRU KHURD SANGNAER JAIPURnullnull | | |
| Document Type | Sale Deed (Conveyance deed) | | |
| Claiment Name | SANJEEV KUMAR SANGHI | Payment Mode | Cash |
| Face Value | 45075000 | Evaluated Value 31540000 | Stamp Value 2001000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ord- registration fee | 50000 | commssion | 0 |
| csi_more_50000 | 300 | custody | 0 |
| stamp(memorandom) | 0 | reg(memorandom) | 0 |
| Penalty | 0 | us_57 | 0 |
| stamp duty | 117400 | us_62 | 0 |
| us_25_34 | 0 | others | 0 |
| us_64_67 | 0 | Inspection_fee | 0 |
| | | **Total :** | 167700 |

One Lakh Sixty Seven Thousand Seven Hundred Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-II

उप पंजीयक
जयपुर द्वितीय

पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) • SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II •
पंजीयक विभाग
सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN B 129806

AXIS BANK LTD
31,KANCHAN APARTMENT
OPP.LBS COLLEGE
TILAK NAGAR
JAIPUR

भारत STAMP DUTY RAJASTHAN
00000
Rs.≅2000000≅ -1.6.2010
365074
INDIA

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) पंजीयक विभाग सत्यमेव जयते SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II


॥ श्री ॥

## विक्रय–पत्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 31 मई सन् 2010 ईस्वी को (1) श्रीमती गुलाब देवी आयु 62 वर्ष धर्मपत्नि स्वर्गीय नारायण, (2)

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

For Shivshakti Realhome Pvt. Ltd.

Director

क्र. 528 दिनांक 3 1 MAY 2010
नाम शिव शक्ति रियल होम प्रा.लि.
पिता का नाम
निवासी निर्माण नगर, जयपुर
मुद्रांक का मूल्य 1000/- वास्ते बेचान

स्टा. मुद्रांक विक्रेता
प्रदीप शर्मा
ला. मुद्रांक विक्रेता
जिलाधीश कार्यालय, जयपुर

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) • SUB-REGISTRAR JAIPUR-II
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

**शंकरलाल** आयु 32 वर्ष दत्तक पुत्र नारायण, (3) **काना** आयु 70 वर्ष व (4) **हनुमान** आयु 72 वर्ष पुत्रान महादेव जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम बगरू खुर्द, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर **''विक्रेतागण''** जिन्हें इस लेख पत्र में एतद्पश्चात् शब्द **''प्रथम पक्ष''** से सम्बोधित किया गया है जिसमें प्रथम पक्ष व प्रथम पक्ष के समस्त उत्तराधिकारी, वारिसान, दायभागी, स्थानापन्न आदि सम्मिलित समझें जावेंगे, की ओर से **शिवशक्ति रियलहोम प्राईवेट लिमिटेड़,** पंजीकृत कार्यालय सी–130–ए, निर्माण नगर, जयपुर जरिये निदेशक संजीव कुमार सांघी पुत्र श्री रमेश चन्द सांघी जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर सी–130–ए, निर्माण नगर, जयपुर, **क्रेता कम्पनी** जिसे इस लेख पत्र में एतद्पश्चात् शब्द **''द्वितीय पक्ष''** से सम्बोधित किया गया है जिससे द्वितीय पक्ष व द्वितीय पक्ष के समस्त निदेशक, उत्तराधिकारी, वारिसान, दायभागीं, स्थानापन्न आदि सम्मिलित समझे जावेंगे, के हित में लिखा गया है।

जो कि ग्राम बगरू खुर्द, पटवार हल्का भमोरिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगरू, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में खाता संख्या नई 149, पुरानी 68 के अन्तर्गत कृषि भूमि खसरा नम्बर 460 रकबा 3.80 हैक्टेयर बारानी–1 स्थित है। उक्त कृषि भूमि में 1/6 हिस्से की खातेदारी विक्रेता नम्बर 1 (श्रीमती गुलाब देवी) के नाम एवं 1/6 हिस्से की खातेदारी विक्रेता नम्बर 2 (शंकरलाल) के नाम एवं 1/3 हिस्से की खातेदारी विक्रेता नम्बर 3 (काना) के नाम एवं 1/3 हिस्से की खातेदारी

LTI गुलाब देवी

शंकर लाल शर्मा

For Shivshakti Realhome Pvt. Ltd.
Director

LTI हनुमान

LTI काना

आज दिनांक 2 माह जून सन् 2010 को 11:26 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री GULAB DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE NARAYAN
उम्र 62 वर्ष, जाति HARIYANA व्यवसाय HOUSE WIFE
निवासी VILL BAGRU KHURD SANGNAER JAIPUR null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010052007939)
(Sale Deed (Conveyance deed))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

| | |
|---|---|
| रसीद नं0 | [2010052008308] |
| दिनांक | [2-6-2010] |
| पंजीयन शुल्क रू0 | 50000 |
| प्रतिलिपि शुल्क रू0 | 0 |
| पृष्ठांकन शुल्क रू0 | 300 |
| अन्य शुल्क रू0 | 0 |
| कमी स्टाम्प शुल्क रू0 | 117400 |
| कुल योग रू0 | 167700 |

( 2010052007939 ) उपपंजीयक,JAIPUR-II
((Sale Deed (Conveyance deed)))

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) • SUB-REGISTRAR, JAIPUR-II • पंजीयन विभाग सत्यमेव जयते



(द्वितीय) (राज.) विभाग सत्यमेव जयते STRAR, JAIPUR-II

विक्रेता नम्बर 4 (हनुमान) के नाम राजस्व रिकॉर्ड में प्रथम पक्ष के नाम दर्ज व अंकित है।

उपरोक्तानुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 460 रकबा 3.80 हैक्टेयर के प्रथम पक्ष अपने-अपने हिस्सेनुसार बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के संयुक्त रूप से खातेदार व काश्तकार है। प्रथम पक्ष ने विक्रय की जा रही कृषि भूमि की खातेदारी व हक काश्त को आज तक किसी भी अन्य व्यक्ति, संस्था आदि के हित में रहन, विक्रय, बख्शीश, वसीयत आदि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है और प्रथम पक्ष ने उक्त कृषि भूमि के बाबत अन्य किसी से कोई इकरारनामा या अनुबन्ध इत्यादि नहीं कर रखा है, ना ही किसी अन्य से कोई रसीद आदि लिखकर कोई राशि प्राप्त कर रखी है, उक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक सरकारी, अर्द्धसरकारी व जनसाधारण के ऋण, कुर्की, टैक्स, डिक्री, जमानत, अधिग्रहण इत्यादि प्रत्येक प्रकार के भार, चार्ज व बंधन तथा वाद विवादों से पूर्णतया मुक्त है और इसके विषय में प्रथम पक्ष को अपने उपयोग व उपभोग में लेने, काश्त करने, काश्त पर देने, विक्रय या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार मालिकाना प्राप्त है।

जो कि प्रथम पक्ष को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपयों की जरूरत होने के कारण प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 460 रकबा 3.80 हैक्टेयर बारानी-1 सम्पूर्ण में अपने-अपने हिस्से सम्पूर्ण अर्थात् कृषि भूमि सम्पूर्ण को मय बौल, सौल, पानी, पूला, मेड़-डाल, पेड़, पौधों आदि सहित, बिना रखे किसी भी अंश व भाग के

शंकर लाल शर्मा

LTI हनुमान

For Shivshakti Realhome Pvt. Ltd.
Director

LTI

LTI

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -GULAB DEVI / LATE NARAYAN
उम्र -62 वर्ष जाति - HARIYANA, व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी - VILL BAGRU KHURD SANGNAER JAIPUR

2 -SHANKAR LAL / AD. SON NARAYAN
उम्र -32 वर्ष जाति - HARIYANA BRAHMIN, व्यवसाय - AGRICULTURE
निवासी - VILL BAGRU KHURD SANGANER JAIPUR

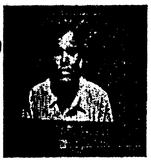

3 -KANA / MAHADEV
उम्र -70 वर्ष जाति - HARIYANA BRAHMIN, व्यवसाय - AGRICULTURE
निवासी - VILL BAGRU KHURD SANGANER JAIPUR

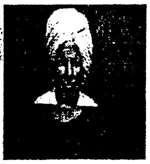

4 -HANUMAN / MAHADEV
उम्र -72 वर्ष जाति - HARIYANA BRAHMIN, व्यवसाय - AGRICULTURE
निवासी - VILL BAGRU KHURD SANGANER JAIPUR

(And Claiment)
1 -SANJEEV KUMAR SANGHI / RAMESH CHAND SANGHI
उम्र -33 वर्ष जाति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -C 130A NIRMAN NAGAR JAIPUR AS DIR. OF M/S SHIV SHAKTI REAL HOME P. LTD.

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 45075000 /- पूर्व में/गेरेसमक्ष / मे से रू0 45075000 /- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री SHANKAR LAL SHARMA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SATYA NARAYAN SHAMRA
उम्र -52 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी C 133 TARA NAGAR JHOTWARA JAIPUR,,

2- श्री/श्रीमती/सुश्री KALU
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री HARI NARAYAN
उम्र -30 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी VILL BAGRUKHURD JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

( 2010052007939 ) उप पंजीयक, JAIPUR

Sale Deed (Conveyance deed)

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

मुबलिग 4,50,75,000/– रूपये अक्षरे चार करोड़ पचास लाख पिचेहत्तर हजार रूपये की एवज में द्वितीय पक्ष **शिवशक्ति रियलहोम प्राईवेट लिमिटेड,** पंजीकृत कार्यालय सी–130–ए, निर्माण नगर, जयपुर जरिये निदेशक संजीव कुमार सांघी पुत्र श्री रमेश चन्द सांघी जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर सी–130–ए, निर्माण नगर, जयपुर के हित में बिचौती कतई कर दी है तथा मूल्यधन की सम्पूर्ण राशि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है:–

| चैक नम्बर | राशि | बैंक | प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 436279 | 5,00,000/– | एस.बी.आई. | गुलाब देवी |
| 436283 | 20,00,000/– | एस.बी.आई. | गुलाब देवी |
| 436287 | 25,00,000/– | एस.बी.आई. | गुलाब देवी |
| 436291 | 25,12,500/– | एस.बी.आई. | गुलाब देवी |
| 436278 | 5,00,000/– | एस.बी.आई. | शंकर लाल |
| 436282 | 20,00,000/– | एस.बी.आई. | शंकर लाल |
| 436286 | 25,00,000/– | एस.बी.आई. | शंकर लाल |
| 436290 | 25,12,500/– | एस.बी.आई. | शंकर लाल |
| 436277 | 10,00,000/– | एस.बी.आई. | काना |
| 436281 | 40,00,000/– | एस.बी.आई. | काना |
| 436285 | 50,00,000/– | एस.बी.आई. | काना |
| 436289 | 50,25,000/– | एस.बी.आई. | काना |
| 436276 | 10,00,000/– | एस.बी.आई. | हनुमान |
| 436280 | 40,00,000/– | एस.बी.आई. | हनुमान |

शंकर लाल शर्मा

LTI गुलाब देवी LTI हनुमान

For Shivshakti Realhome Pvt. Ltd.
Director

LTI काना

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 45075000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 117400 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 50000 कुल रूपये 167400 जरिये रसीद संख्या [2010052008308]
दिनांक [2-6-2010] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 2118400
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

( 2010052007939 ) उप पंजीयक, JAIPUR-II
( Sale Deed (Conveyance deed) )

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

आज दिनांक 2/6/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 650
में पृष्ठ संख्या 61 क्रम संख्या 2010052004787पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2586
के पृष्ठ संख्या 170 से 180
पर चस्पा किया गया।

( 2010052007939 ) उप पंजीयक, JAIPUR-II
Sale Deed (Conveyance deed)

SUB-RE...

...SUB REGISTRAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 436284 | 50,00,000/– | एस.बी.आई. | हनुमान |
| 436288 | 50,25,000/– | एस.बी.आई. | हनुमान |
| कुल राशि | 4,50,75,000/– | | |

जिनकी प्राप्ति होना प्रथम पक्ष इस विक्रय पत्र में भी स्वीकार करते हैं। अब मूल्यधन के पेटे प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।

विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को बहैसियत मालिकाना व वास्तविक रूप से मौके पर खाली का संभला दिया है। अब द्वितीय पक्ष कम्पनी उक्त वर्णित कृषि भूमि रकबा 3.80 हैक्टेयर की प्रथम पक्ष के समान एकमात्र मालिक, काबिज व काश्तकार हो गई है तथा प्रथम पक्ष को उक्त कृषि भूमि के बाबत जो–जो हक व काश्त के अधिकार प्राप्त हैं, वे सम्पूर्ण हक व अधिकार आज से द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। अब द्वितीय पक्ष उक्त वर्णित कृषि भूमि को जिस प्रकार भी चाहे अपने उपयोग व उपभोग में लेवे, स्वयं काश्त करे, नामान्तरण खुलावे, साझे में काश्त करवाये, इकजाई अथवा खण्डों में विभक्त कर किसी को भी किसी भी कीमत में रहन, विक्रय, बख्शीश व अन्य जिस प्रकार भी चाहे हस्तान्तरित कर फायदा उठावे।

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

यदि विक्रय की गई कृषि भूमि के सम्बन्ध में आज से पहले की कोई बकाया राशि या वाद–विवाद, झगड़ा–टंटा, सरकारी व जनसाधारण आदि का निकलेगा या प्रथम पक्ष का कोई उत्तराधिकारी, पारिवारिक सदस्य या कोई अन्य दीगर व्यक्ति इस विक्रय के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठायेगा तो उसका निपटारा प्रथम पक्ष स्वयं

शंकर लाल शर्मा

LTI गुलाबदेवी LTI हनुमान

For Shivshakti Realhome Pvt. Ltd.

Director

LTI [illegible]

जयपु
SUB-RE
(द्वितीय)
ISTRAR

अपने खर्चे व पैरवी से करेंगे, द्वितीय पक्ष का इससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा। किसी प्रकार की दावेदारी से अथवा स्वामित्व अधिकार की त्रुटि के कारण विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश या भाग द्वितीय पक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जावे अथवा द्वितीय पक्ष को इसके सम्बन्ध में आज से पहले का कोई रूपया अदा करना पड़े तो द्वितीय पक्ष को अपना दिया हुआ समस्त रूपया हानि, व्यय, हर्जा, खर्चा इत्यादि प्रचलित बाजार मूल्य सहित प्रथम पक्ष से व प्रथम पक्ष की प्रत्येक प्रकार की चल–अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

द्वितीय पक्ष को इस विक्रय पत्र के जरिये उक्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का पूर्ण अधिकार होगा, यदि इस कार्य में प्रथम पक्ष के हस्ताक्षरों, बयान आदि की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष का पूरा सहयोग करेंगे।

यह कि विक्रय पत्र से सम्बन्धित समस्त प्रकार का खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा मूल्यधन के अलावा अलग से वहन किया है।

यह कि प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 460 रकबा 3.80 हैक्टेयर द्वितीय पक्ष को विक्रय की है तथा उक्त कृषि भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग से करीबन एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

अतः यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष ने अपनी राजी–खुशी, स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में 1000/– रूपये के एक मुद्रा पत्र मय

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

For Shivshakti Realhome Pvt. Ltd.

Director

उप पंजीयक, जयपुर
SUB-RE
जयपुर (द्वितीय) (राज.)
REGISTRAR

20,00,000/– रूपये फ्रेकिंगशुदा इस प्रकार कुल 20,01,000/– रूपये व छः पेपरों पर लिखवाकर भली–भांति पढ़, सुनकर समक्ष गवाहान् अपने हस्ताक्षर कर दिये है कि प्रमाण रहें व समय पर काम आवे। इति:

**हस्ताक्षर प्रथम पक्ष :**

LTI गुलाब देवी

(श्रीमती गुलाब देवी)

शंकरलाल शर्मा

(शंकरलाल)

LTI काना

(काना)

LTI हनुमान

(हनुमान)

**हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष :**

For Shivshakti Realhome Pvt. Ltd.

Director

(संजीव कुमार सांघी बहैसियत निदेशक शिवशक्ति रियलहोम प्राईवेट लिमिटेड़)

गवाह : Sl Sharma

Shalen Lal Sharma S/o Shya Narayan Sharma
A-133 Tara Nagar Jhotwara,
Jaipur

गवाह : Kalu Ram

Kalu Ram S/ Hari Narayan Sharma
V. = Bagru Khurd

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

Drafted by :-

SS Agarwal

**SHYAM SUNDAR AGARWAL**
Deed Writer
1, Ground Floor, D-102, Green Oak Apt.,
Meera Marg, Banipark, Jaipur
(M) 9829062629 (O) 01414035858
Dated : 02-06-2010

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) • II • SUB-REGISTRAR, JAIPUR

सत्यमेव जयते

**Stamps and Registration Department**
**OFFICE OF SUB REGISTRAR SR - V**
**JAIPUR**
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fee Receipt No | 2010397030433 | Date | 28/12/2010 |
| Presenter Name | SANJEEV SANGHI | Document S. No | 2010397029375 |
| Presenter/Property Address | P.NO. C-130-A NIRMAN NAGAR JAIPURAS DIR/ M/S SHIV SHAKTI REALHOME PVT. LTD.null | | |
| Document Type | Lease deed for local bodies (Patta) | | |
| Claiment Name | | Payment Mode | Cash |
| Face Value | 4709592 | Evaluated Value 0 | Stamp Value 25010 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ord- registration fee | 47100 | commission | 0 |
| csi_more_50000 | 300 | custody | 0 |
| stamp(memorandum) | 0 | reg(memorandom) | 0 |
| Penalty | 0 | us_57 | 0 |
| stamp duty | 210470 | us_62 | 0 |
| us_25_34 | 0 | others | 0 |
| us_64_67 | 0 | Inspection_fee | 0 |
| | | **Total :** | 257870 |

Two Lakh Fifty Seven Thousand Eight Hundred Seventy Only

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-V

उप-पंजीयक, जयपुर (राज.) पंजीयन विभाग सत्यमेव जयते SUB-REGISTRAR, JAIPUR

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

(शहरी जमाबन्दी के आधार पर अफोरडेबल आवासीय नीति–2009 के अन्तर्गत निजी खातेदारी योजना
समूह आवासीय प्रयोजन के लिए भूमि का पट्टा विलेख)

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू–खण्डों के नियमन हेतु)

यह इकरारनामा राज्य सरकार द्वारा जारी अफोरडेबल आवासीय नीति–2009 के मॉडल संख्या–2 के अन्तर्गत सहभागिता योजना के तहत आज दिनांक 21/.../2010 को इस इकरारनामें के तहत आवंटित/विक्रय–पत्र संख्या 6329 .... राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसके पश्चात् सरकार कह कर संबोधित किया गया है।

मैसर्स शिव शक्ति रियलहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजीव सांघी पुत्र श्री रमेशचन्द सांघी जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी सी–130ए, निर्माण नगर, जयपुर जिनके स्वामित्व की ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा संख्या 460 कुल किता 1 कुल रकबा 3.80 हैक्ट. की कुल 32814.08 वर्गमीटर, भूमि है (जिनको कि इसके पश्चात पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत में जहाँ की कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उतराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकीन अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया हैं। इसमें उल्लेखित शर्तों और कवरों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इनके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर संबोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता हैः–

1. इस पट्टा विलेख द्वारा पट्टेदार के पक्ष में अफोरडेबल आवासीय नीति 2009 के संबंध में आवास विकास संस्थान, जयपुर विकास प्राधिकरण तथा मैसर्स मैसर्स शिव शक्ति रियलहोम प्रा.लि. के मध्य निष्पादित त्रि–पक्षीय अनुबंध दिनांक 02.06.2010 तथा संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवंटन/नियमन की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैः
   (अ) कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 32814.08 वर्गमीटर
   (ब) कमजोर, अल्प/मध्यम आय वर्ग (अ), हेतु आवासीय फ्लेट बनाने के लिए कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का 52 प्रतिशत भूमि का क्षेत्रफल (जिसमें से कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का 2 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग हेतु आरक्षित रहेगा) 17063.32 वर्गमीटर
   (स) पट्टेदार के पक्ष में कुल भूखण्ड क्षेत्रफल में से आवंटित शेष 48 प्रतिशत भूमि (जिसमें से कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत व्यावसायिक उपयोग हेतु आरक्षित रहेगा) का क्षेत्रफल (अ)–(ब) 15750.75 वर्गमीटर
2. इस पट्टा विलेख के तहत शर्त संख्या 1(अ) में वर्णित कुल भूमि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90बी (3) के तहत समर्पण के पश्चात् स्थानीय निकाय के हक में दर्ज होने के उपरान्त अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के तहत कमजोर, अल्प एवं मध्यम आय वर्ग–(अ) हेतु परियोजना में निर्धारित की उपर्युक्त शर्त संख्या 1(ब) में वर्णित भूमि का स्वामित्व एवं प्रथम चार्ज स्थानीय निकाय के हक में रहेगा व शर्त संख्या 1(स) में वर्णित शेष भूमि (आवासीय एवं व्यावसायिक) का स्वामित्व पट्टेदार का होगा। किन्त शर्त संख्या 1 (ब) में वर्णित 2 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि का आवंटन प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार अथवा उसके नामित व्यक्ति को शर्त संख्या 1 में उल्लेखित फ्लेट के निर्माण व विकास कार्य की शर्त पूर्ण होने पर किया जा सकेगा।
3. यह कि निजी खातेदार योजना जिसकी सीमाओं एवं क्षेत्रफल का विवरण संलग्न साईट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक आपवादों, सरक्षणों, प्रतिबन्धों वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार उपयोग उपभोग, और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा।
4. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
5. इस भूखण्ड के पट्टेदार उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 1(स) पर वर्णित क्षेत्रफल पर अकृषि प्रयोजनार्थ निर्धारित नियमन/आंवटन दर के आधर पर कुल राशि ..........................................

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

शब्दों में ............................................................................ रूपये देय होती है, जिसकी शत प्रतिशत छूट अफोरडेबल आवासीय नीति के तहत दी गई है। किन्तु उक्त भूमि पर नियमानुसार शहरी जमाबन्दी देय होगी, जो कि उस क्षेत्र की आवासीय नियमन/आवंटन दर की चार गुणा राशि को आरक्षित दर मानते हुए इसका **2.5** प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल पर एवं **5** प्रतिशत व्यावसायिक क्षेत्रफल पर प्रति वर्गगज प्रतिवर्ष देय है (यथा लागू) शहरी जमाबन्दी की उक्त राशि की नियमानुसार समय–समय पर बढोतरी की जायेगी परन्तु नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी प्रचलित आदेशों के तहत आठ वर्षीय शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा करने पर भविष्य में शहरी जमाबन्दी देय नहीं होगी। उपरोक्तानुसार लीज राशि **523674/–** चालान नं. **116235** दिनांक **26.11.10** से जमा है।

6. इस पट्टे के आधार पर शर्त संख्या 1 (स) में उल्लेखित उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए नियमानुसार गिरवी रखा जा सकेगा।
7. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन का या उन दोनों के किसी ऐसे आशय के लिए जो पिछले पद में निर्देशित आश्य के असंगत है बिना सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो तदर्थ नियुक्त किया गया हो, राजस्थान नगर सुधार (नगरीय निष्पादन) नियम 1974 के अंतर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी शर्त या शर्तों का उल्लघंन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।
8. योजना का आंतरिक विकास उत्तादायित्व पट्टेदार का होगा।
9. पट्टेदार उपरोक्तानुसार शर्त संख्या 1(स) पर वर्णित क्षेत्रफल में से शर्त संख्या 1(अ) में वर्णित कुल भूखण्ड क्षेत्रफल का 6 प्रतिशत क्षेत्रफल व्यावसायिक उपयोग में लिया जा सकेगा, जिसका स्वामित्व पट्टेदार का होगा।
10. भूखण्ड की लीजडीड का अपने व्यय पर 30 दिवस में नियमानुसार पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य होगा।
11. निर्माण से पूर्व न्यास से कमजोर/अल्प/मध्यम आय वर्ग भवन के मानचित्र को अफोरडेबल पालिसी में निर्धारित मापदण्डों एवं उच्च आय वर्ग/व्यावसायिक भवनों के मानचित्र भवन विनियम 2010 के अन्तर्गत परियोजना की मुख्य सडक को आधार माना जाकर अफोरडेबल पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के तहत स्वीकृत करवाना होगा।
12. भवन निर्माण का कार्य अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 एवं तत्पश्चात् इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/संशोधन के प्रावधानों के तहत करना होगा।
13. ऋण दात्री संस्था द्वारा पट्टे की शर्त संख्या 1(ब) में अल्प/कमजोर/मध्यम आय वर्ग हेतु आरक्षित आवासीय भूमि का क्षेत्रफल जो कि प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय को निःशुल्क समर्पित किया जा चुका है तथा जिसके कि स्वामित्व से सम्बन्धित समस्त अधिकार प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के पक्ष में है, पर पट्टेदार को "Second charge" के आधार पर बैंक से ऋण मुहैया करवाने हेतु प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा अनापत्ति दी जा सकेंगी। इस संबंध में प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा बैंक/अन्य ऋण दात्री संस्था द्वारा किसी प्रकार के शपथ–पत्र अथवा अन्य कानूनी दस्तावेज मांगे जाने पर प्राधिकरण /न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध करवाये जावेंगे।
14. सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल का एक ही साईट प्लान राज्य सरकार/न्यास द्वारा अनुमोदित अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी 2009 के अनुसार जारी किया गया है।
15. पट्टेदार के आवेदन अनुसार भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा निर्विवाद मानकर यह पट्टा जारी किया जा रहा है। अतः कब्जे सम्बन्धित किसी प्रकार के विवाद के लिए प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय जिम्मेदार नहीं होगा।
16. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड विक्रय करने से पूर्व प्राधिकरण/न्यास की अनुमति आवश्यक है एवं केता द्वारा भूखण्ड का हस्तान्तरण प्राधिकरण/न्यास के नियमों के अनुसार करवाना होगा।
17. पट्टेदार द्वारा सम्बन्धित नियमों, उपनियमों, नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974, अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009, उपविभाजन एवं पुर्नगठन नियम 1975, भवन विनियम 2010, उपनियमों, राज्य सरकार

उपायुक्त जोन–11
विकास प्राधिकरण जयपुर

/प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के समय–समय पर जारी होने वाले दिशानिर्देशों/निर्णयों की अनुपालना की जावेगी।

18. पट्टेदार द्वारा उच्च आय वर्ग/व्यवसायिक/अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने वाली भूमि पर विकसित क्षेत्रफल मे सौर उर्जा की व्यवस्था रखी जानी आवश्यक होगी।

19. एन.बी.सी. (नेशनल बिल्डिंग कोर्ड) के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन के एवं भूकम्परोधी प्रावधान किये जाना आवश्यक होंगे।

20. पट्टेदार को निर्माण इस प्रकार करना होगा कि वर्षा ऋतु का पानी नहीं भरे व जल निकासी का पूर्ण प्रावधान करना होगा।

21. पट्टेदार को राज्य सरकार की अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 एवं तत्पश्चात् समय–समय विभिन्न परिपत्रों/आदेशों/दिशा निर्देशों के तहत जारी संशोधन, प्रावधानों एवं शर्तो की पालना अनिर्वाय रूप से करनी होगी।

22. पट्टेदार को रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

23. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार अगर अन्य कोई राशि बनती है तो आवंटी द्वारा प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय को नियमानुसार अदा करनी होगी।

24. पट्टेदार द्वारा किसी भी नियम की पालना नहीं करने पर लीजडीड/आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

25. पट्टेदार द्वारा परियोजना में से उत्पन्न होने वाले सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स के अनुसार किया जावेगा।

26. पट्टेदार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों की नियमानुसार अनुपालना करनी होगी।

27. पट्टेदार द्वारा नियमानुसार ग्रीनरी तथा प्लान्टेशन आवश्यक रूप से करना होगा।

28. पट्टेदार द्वारा अफोरडेबल आवासीय नीति में वर्णित एवं संशोधित व भवन विनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी होगी।

29. यह पट्टा पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जारी किया जाता है, भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि पट्टेदार द्वारा तथ्यों को छुपा कर या फर्जी दस्तावेज के आधार पर आवंटन पत्र जारी करवाया गया है तो यह आवंटन पत्र एवं इसके परिपेक्ष्य में जारी किया गया पट्टा विलेख स्वतः निरस्त माना जावेगा।

30. उपरोक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा तैयार एवं अनुमोदित त्रिपक्षीय अनुबंध जो कि पट्टे के साथ प्रपत्र–'अ' पर संलग्न है एवं जो इस पट्टे का अभिन्न अंग है, की सभी शर्ते अक्षरशः लागू होगी जिनकी पालना अनिवार्य रूप से पट्टेदार को करनी होगी।

31. पट्टेदार द्वारा कमजोर/अल्प/मध्यम आय वर्ग 'अ' हेतु निर्मित किये जाने वाले कुल सुपर बिल्ट अप क्षेत्रफल का 1 प्रतिशत बिल्ट अप क्षेत्रफल सामुदायिक केन्द्र/सार्वजनिक सुविधाएं/स्कूल/प्रशिक्षण केन्द्र हेतु निःशुल्क निर्मित किया जावेगा।

32. पट्टेदार कमजोर/अल्प/मध्यम आय वर्ग 'अ' हेतु अफोरडेबल पॉलिसी–2009 के तहत निर्मित किये जाने वाले आवासों हेतु बैंक, विकासकर्ता, लाभार्थी एवं प्राधिकरण/ न्यास/स्थानीय निकाय के मध्य निष्पादित होने वाली "एस्क्रो एग्रीमेन्ट" को हस्ताक्षरित करने हेतु बाध्य होगा।

33. पट्टेदार अफोरडेबल आवासीय नीति के तहत कमजोर/अल्प/मध्यम आय वर्ग 'अ' हेतु निर्मित किये जाने वाले आवासों को समयबद्ध कार्यक्रम में गुणवता हेत निर्धारित मापदण्डों पर पूर्ण करवायेगा, अगर पटेटदार आवंटी द्वारा आवासों का निर्माण बिना पूर्ण किये बिना कार्य बीच में ही छोड दिया जाता है तो शेष कार्य प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा पट्टेदार द्वारा दिनांक ............को प्रस्तुत अण्डर टेकिंग अनुसार पट्टेदार की क्षतिपूर्ति पर करवाया जा सकेगा। (इस संबंध मे आवंटी से 100/- रूपये के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नियमानुसार अण्डरटेकिंग पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा)

34. उपरोक्त शर्तो अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन किये जाने पर उक्त आवंटन/लीजडीड स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

35. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड पर निर्मित किये जाने वाले समस्त आवासों पर अगर किसी भी प्रकार का सर्विस टैक्स अथवा अन्य कोई टैक्स देय होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पट्टेदार की होगी।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

36. भूखण्ड की लीजडीड एवं पंजीयन पर आने वाली समस्त लागत एवं व्यय प्रभार पट्टेदार द्वारा नियमानुसार देय होंगे।

37. पट्टेदार द्वारा भूखण्ड का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जावेगा। जिस हेतु यह पट्टा जारी किया गया है।

नोट :- इस भूखण्ड की .................................................................................................. पंजीकृत मूल्य राशि रू 47,09592/- होती हैं। अतएव स्टाम्प नं. 2455, 2456, रूपये 25000/- +10/- संख्या 1+1=02 बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों इसकें बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

सरकार की ओर से

आज सन् 2010 माह दिसम्बर के 21 वें दिन ........ श्री बी.एल. गोयल सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-11 जयपुर

........................................
उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं

पट्टेदार कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (शहर का नाम) में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर मैसर्स शिव शक्ति रियलहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजीव सांघी पुत्र श्री रमेशचन्द सांघी जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी सी-130ए, निर्माण नगर, जयपुर किये।

For SHIVSHAKTI REALHOME PVT. LTD.
पट्टेदार के हस्ताक्षर
DIRECTOR

साक्षी :-

1. नाम :- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
पिता/पति का नाम :- स्व. श्री प्रमोद बिहारी गुप्ता
व्यवसाय :-. व्यापार
निवास स्थान :- 31, हाथीबाबू का बाग के अन्दर, स्टेशन रोड, जयपुर।

........................................
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम :- श्री कमल दीवान
पिता/पति का नाम :- श्री ग्यारसीलाल दीवान
व्यवसाय :- व्यापार
निवास स्थान :- बी-23, सूरज नगर (पश्चिम), सिविल लाईन्स, जयपुर।

........................................
साक्षी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

135311

SUB-REGISTRAR, JAIPUR

01 DEC 2010

नॉन ज्यूडिशियल

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर (राज.)

राजस्थान सरकार
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

बनाम

मैसर्स शिव शक्ति रियलहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजीव सांघी पुत्र श्री रमेशचन्द सांघी जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी सी–130ए, निर्माण नगर, जयपुर

| क्र.सं. | स्टाम्प नं. | दिनांक | संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2455 | 16.12.10 | 01 | 25000/– |
| 2. | 2456 | 16.12.10 | 01 | 10/– |

ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 460 कुल किता 1 कुल रकबा 3.80 हैक्ट. में से कुल अनुमोदित/रूपान्तरित क्षेत्रफल 32814.08 वर्गमीटर, में निजी खातेदारी में आवासीय अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के तहत कमजोर/अल्प/मध्यम आय वर्ग 'अ' प्रयोजनार्थ लीजडीड क्षेत्रफल 17063.32 वर्गमीटर हेतु वांछित रेवेन्यू स्टाम्प संलग्न है, जो मैसर्स शिव शक्ति रियलहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजीव सांघी पुत्र श्री रमेशचन्द सांघी जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी सी–130ए, निर्माण नगर, जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण से आवंटित/ रूपान्तरित है।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन–11,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

2455 16.12.10
क्रमांक......... दिनांक.........
नाम मैसर्स शिव शक्ति रियल होम प्रा० लि० जरिये निदेशक संजीव कुमार सांघी
पता C-130A, निर्माण नगर अजमेर रोड जयपुर
मूल्य 95000/- वास्ते पट्टा

SP

**सोनू गुप्ता**
ला. स्टाम्प विक्रेता
143 श्री विहार कॉलोनी दुर्गापुरा, जयपुर

आज दिनांक 28 माह दिसम्बर सन् 2010 को 04:11 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SANJEEV SANGHI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH CHAND SANGHI
उम्र _______ वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी P.NO. C-130-A NIRMAN NAGAR JAIPUR AS DIR. M/S SHIV SHAKTI REALHOME PVT. LTD. null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010397029375)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-V
सब रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम

| | |
|---|---|
| रसीद नं0 | [2010397030433] |
| दिनांक | [28-12-2010] |
| पंजीयन शुल्क रु0 | 47100 |
| प्रतिलिपि शुल्क रु0 | 0 |
| पृष्ठांकन शुल्क रु0 | 300 |
| अन्य शुल्क रु0 | 0 |
| कमी स्टाम्प शुल्क रु0 | 210470 |
| कुल योग रु0 | 257870 |

( 2010397029375 ) उपपंजीयक JAIPUR-V
((Lease deed for local bodies (Patta))

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

SUB-REGISTRAR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

47AA 893289

राजस्थान सरकार

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

बनाम

मैसर्स शिव शक्ति रियलहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजीव सांघी पुत्र श्री रमेशचन्द सांघी जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी सी–130ए, निर्माण नगर, जयपुर

| क्र.सं. | स्टाम्प नं. | दिनांक | संख्या | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2455 | 16.12.10 | 01 | 25000/– |
| 2. | 2456 | 16.12.10 | 01 | 10/– |

ग्राम बगरूखुर्द तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 460 कुल किता 1 कुल रकबा 3.80 हैक्ट. में से कुल अनुमोदित/रूपान्तरित क्षेत्रफल 32814.08 वर्गमीटर, में निजी खातेदारी में आवासीय अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के तहत कमजोर/अल्प/मध्यम आय वर्ग 'अ' प्रयोजनार्थ लीजडीड क्षेत्रफल 17063.32 वर्गमीटर हेतु वांछित रेवेन्यू स्टाम्प संलग्न है, जो **मैसर्स शिव शक्ति रियलहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजीव सांघी पुत्र श्री रमेशचन्द सांघी जाति महाजन व्यवसाय व्यापार निवासी सी–130ए, निर्माण नगर, जयपुर** को जयपुर विकास प्राधिकरण से आवंटित/ रूपान्तरित है।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

2456 16-12-10

मैसर्स शिव शक्ति रियल होम प्रा० लि०

जरिये निदेशक संजीवकुमार सांघी

C-130A, निर्माण नगर

अजमेर रोड

जयपुर

सोनू गुप्ता

स्टाम्प विक्रेता

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)

1 -SANJEEV SANGHI / RAMESH CHAND SANGHI
उम्र -0 वर्ष जाति - MAHAJAN, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - P.NO. C-130-A NIRMAN NAGAR JAIPUR AS DIR. M/S SHIV SHAKTI REALHOME PVT. LTD.

Signature Photo Thumb

(And Claiment)

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 4709592/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रू0 4709592/- पूर्व में ---------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री NEERAJ SHARMA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री RAMESH SHARMA
उम्र -25 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -SERVICE
निवासी KRISHNA APARTMENT BANIPARK JAIPUR,,

नीरज शर्मा

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2010397029375)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, JAIPUR-V

**सब रजिस्ट्रार, जयपुर**
**पंचम**

आज दिनांक 28/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 378
में पृष्ठ संख्या 116 क्रम संख्या 201039701535 1पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1511
के पृष्ठ संख्या 203 से 210
पर चस्पा किया गया।

(2010397029375)

Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, JAIPUR-V

**सब रजिस्ट्रार जयपुर**
**पंचम**

# ~~L~~AN OF KHASRA NO .:- 460 FOR PROPOSED AFFORDABLE HOUSING EWS,LIG,MIG-A AT REVENUE VILLAGE,BAGARU KHURD TEH- SANGANER JAIPUR

| | | |
|---|---|---|
| .A :-17063.32 + 15750.76 = 32814.08 Sq.m. | MAX. GROUND COVERAGE :- FOR EWS LIG =50% & MIG-A,MIG-B = 3:% | SCALE :- 1:1500 |
| .:- AS PER AFFORDABLE HOUSING POLICY | MAX. F.A.R. :- AS PER AFFORDABLE HOUSING POLICY | HEIGHT :- AS PER AFFORDABLE HOUSING POLICY |

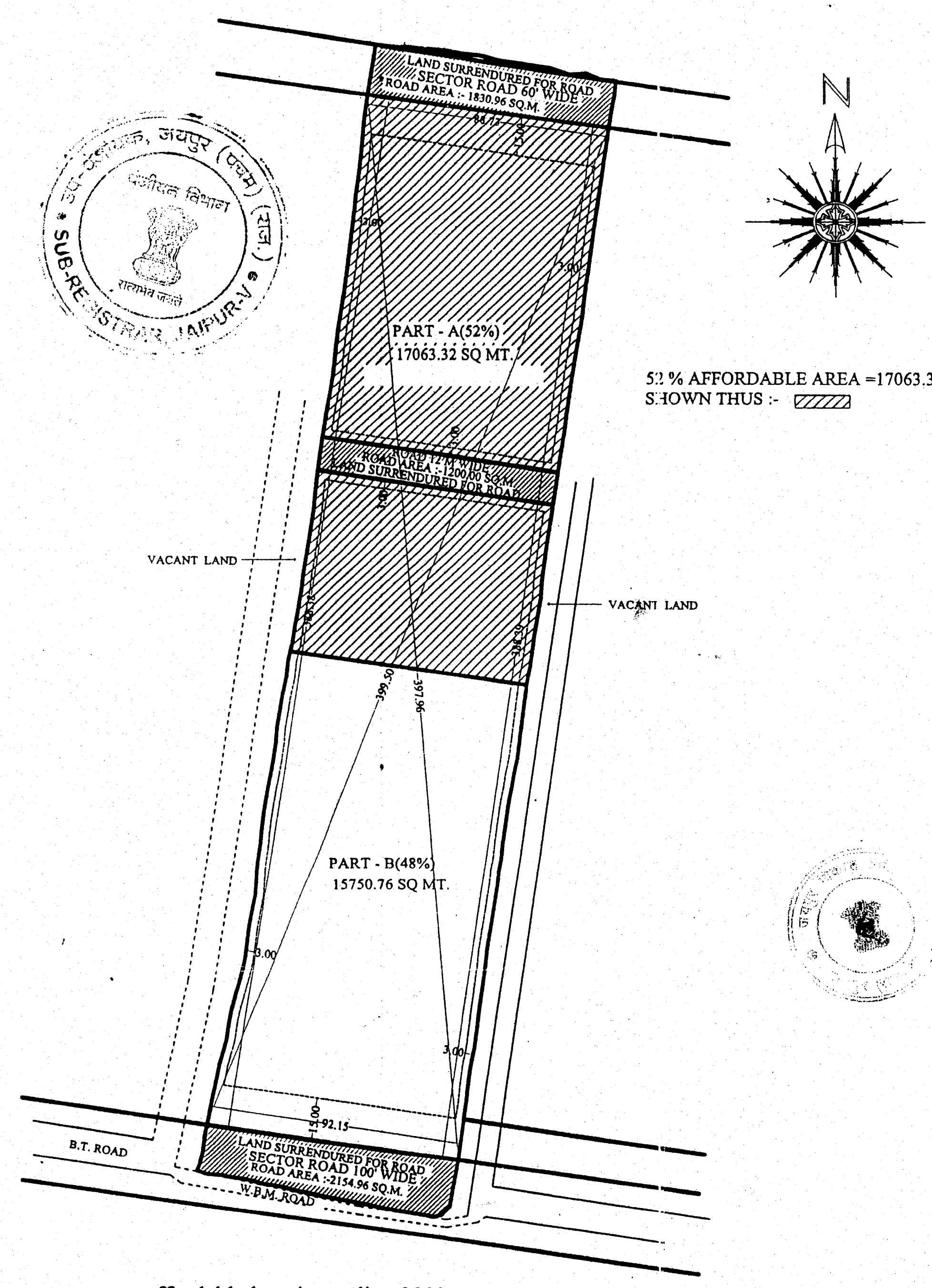


NOTE:- Parameter as per affordable housing policy 2009
Moudle No -2

| | | | |
|---|---|---|---|
| SITE ENGG. 21/12/010 (ZONE -11) | AMIN/TEH. (ZONE -11) | ATP/DTP (ZONE -11) | DC (ZONE -11) |

## JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

आज दिनांक 28-12-2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 378
के पृष्ठ संख्या 116 क्रम संख्या 15351 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1511
के पृष्ठ संख्या 203 से 210 पर
चस्पा किया गया।

उपपंजीयक
पंचम जयपुर
सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.)
पंजीयन विभाग
सत्यमेव जयते
SUB-REGISTRAR JAIPUR-V

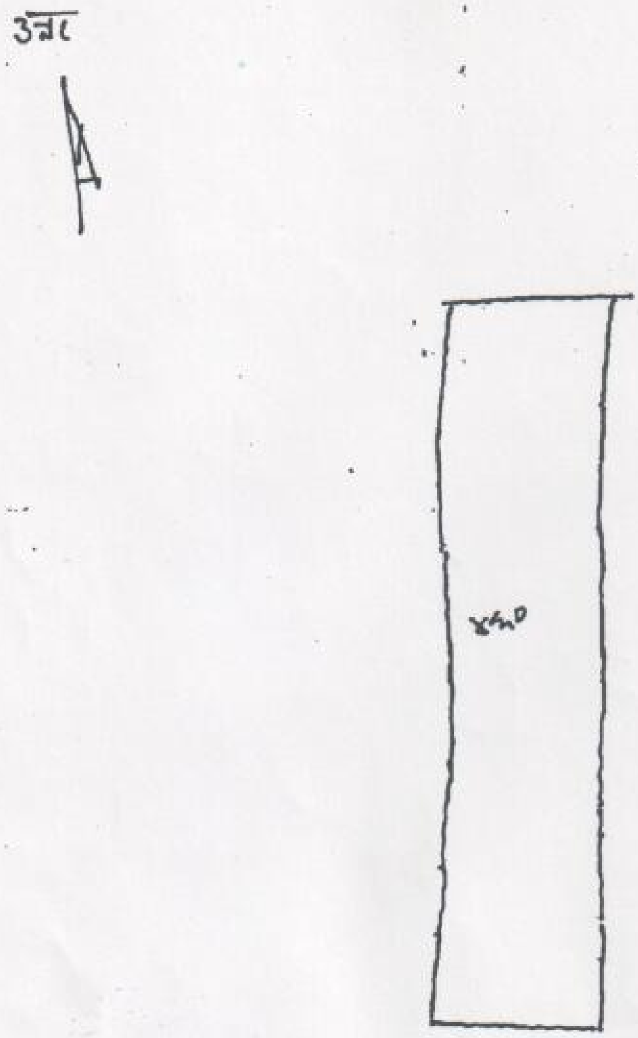


नक्शा ट्रेस

ग्राम- [illegible]

तह.- सांगानेर (जयपुर)

सत्य प्रतिलिपि

22.9.10

पटवारी हल्का मनोरिया
तह.-सांगानेर (जयपुर)

प्रपत्र सं. पी. 26 (N)
(देखिये नियम 13)

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम [illegible] पटवार क्षेत्र भनोरिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान सम्वत् 20 64 से 20 67

| खेवट खतौनी सं. नई | पुरानी | भू-धारकों का नाम | काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | मृदा (भूमि) वर्गीकरण | सिंचाई के स्रोत | कृषक द्वारा: दर सहित ब्यौरा | कृषक द्वारा: रकम | सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख | सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। | सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख | सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। | सम्वत् ...... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख | सम्वत् ...... के लिए: भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है। | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 149 | 68 | राज सरकार | श्रीमती सुगनदेवी पत्नी नारायण व रोशनलाल पुत्रान् नारायण हि. $\frac{1}{3}$ व मा हनुमान पि. महादेव हि. $\frac{2}{3}$ जाति [illegible] सा. [illegible] | 460<br>480<br>481<br>483<br>484 | 3.80<br>0.02<br>0.13<br>0.28<br>0.42 | बारानी I<br>गै.मु.<br>बंजड़<br>बा. 2<br>बा. 2 | | | | | नोट:- नामां./215/ [illegible] 22-9-10 द्वारा ख. नं. 460 रकबा 3.80 की खातेदारी [illegible] [illegible] प्रा. लि. [illegible] C130 A [illegible] [illegible] के नाम [illegible] | | | | | |
| | | | | 5 | 4.65 | | | | 3424 | | | | | | | |

सत्य प्रतिलिपि

23/9/10

रा. मु. श. 9-2006-2,00,000 प्र.

सत्य प्रतिलिपि

पटवारी हल्का भनोरिया
तह.-सांगानेर (जयपुर)